सं. 05-01/2001 डब्ल्यूएल/जी-।।
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(सामान्य-।। अनुभाग)
20, अशोक रोड़, संचार भवन
नई दिल्ली-110001

दिनांक 29th अप्रैल, 2022

परिपत्र

विषय:- दूरसंचार विभाग में नियत पारिश्रमिक पर अंशकालिक आधार पर संविदा चिकित्सा परामर्शदाता को कार्य पर रखना।

दूरसंचार विभाग, संचार भवन में अंशकालिक (संविदा) आधार पर अपेक्षित मेडिकल प्रैक्टिसनर (एलोपेथी स्ट्रीम) के लिए एमबीबीएस तथा उच्चतर योग्यता प्राप्त चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो इस प्रकार है:-

पद का नाम	संख्या	कार्य के घंटे (सप्ताह में 5 दिन	आयु सीमा	प्रति माह दिया जाने वाला पारिश्रमिक
चिकित्सा परामर्शदाता	01 (एक)	(अपराह्न 1.30 से अपराह्न 5.30 तक)	दिनांक 23.05.2022 को 67 वर्ष से अधिक नहीं	60,000/-रू. (साठ हजार रू. मात्र) (सभी सहित)

2. एतद्द्वारा अर्हता संबंधी मानदंड, निबंधन एवं शर्तें, चयन की प्रक्रिया, प्रोफार्मा आदि सभी संलग्न हैं। विभाग के पास बिना कोई कारण बताए किसी आवेदन अथवा सभी आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

3. अर्हता संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा "**दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) में नियत पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन**" में अपना आवेदन दे सकते हैं। इस आवेदन की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल के माध्यम से (पीडीएफ फार्मेट में संलग्नकों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ) इस कार्यालय को दिनांक 23.05.2022 को अपराह्न 5.30 बजे तक अथवा उससे पूर्व निम्नलिखित पते पर प्राप्त होनी चाहिए:-

श्री मनोज कुमार सिंह
उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
कमरा सं. 305, संचार भवन
20, अशोक रोड़, दूरसंचार विभाग
नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 011-23036094
ई-मेल:- mk.singh52@nic.in

आवेदन ई-मेल के माध्यम से दिनांक 23.05.2022 को अपराह्न 5.30 बजे तक अथवा इससे पूर्व प्राप्त होना चाहिए

(श्री मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
दूरसंचार विभाग

(मनोज कुमार सिंह)
(MANOJ KUMAR SINGH)
उप सचिव (जी.ए.)
Deputy Secretary (GA)
दूरसंचार विभाग, भारत सरकार
Deptt. of Telecom, Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

प्रतिलिपि:-

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. निदेशक (IV-आईटी), दूरसंचार (मुख्यालय) को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. ई-नोटिस बोर्ड, दूरसंचार विभाग (मुख्यालय)।

<u>संविदा चिकित्सा परामर्शदाता (एलोपैथी) को एक वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक आधार पर कार्य पर रखना। ऑन-लाइन आवेदन की अंतिम तारीख 23.05.2022</u>

दूरसंचार विभाग, संचार भवन में एक अंशकालिक चिकित्सक को सेवा पर रखने हेतु अर्हता, निबंधन और शर्तें इस प्रकार हैं:-

<u>अर्हता, निबंधन और शर्तें:-</u>

1. आवेदक के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए।
2. चिकित्सक के पास भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई/डीएमसी) से विधिमान्य पंजीकरण होना चाहिए।
3. सेवानिवृत्त चिकित्सक के लिए अधिकतम आयु सीमा दिनांक 23.05.2022 को 67 वर्ष होगी।
4. आवेदक के पास किसी अस्पताल अथवा क्लिनिक (सीजीएचएस या किसी अन्य सरकारी अस्पताल को प्राथमिकता दी जाएगी) में मेडिसीन की प्रैक्टिस में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
5. आवेदक का आवास इस विभाग (संचार भवन), 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 से 20-25 कि.मी. की आवागमन दूरी की परिधि के भीतर होना चाहिए।
6. कार्य की संविदा अवधि सामान्यता एक वर्ष की होगी जिसे आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है।
7. पारिश्रमिक की दर तथा कार्य के घंटे नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं:-

क्र. सं.	विभाग का नाम एवं पता	कार्य दिवस	कार्य के घंटे	पारिश्रमिक
1	दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001	सोमवार से शुक्रवार	(अपराह्न 1.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक)	संपूर्ण संविदा अवधि हेतु अधिकतम 60,000/- रू. मात्र

8. विभाग के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने तथा प्रशासनिक और प्रचालनात्मक अपेक्षाओं के लिए आवश्यक होने की स्थिति में कार्य के घंटो में फेरबदल करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. कार्य पर रखे गए चिकित्सक की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथा-अनुपात आधार पर गणना हेतु कैलेंडर वर्ष में 08 (आठ) दिवसों के छुट्टी का प्रावधान।
10. महिला चिकित्सकों को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
11. इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित को ई-मेल कर सकते हैं:

श्री मनोज कुमार सिंह
उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
कमरा सं. 305, संचार भवन
20, अशोक रोड़, दूरसंचार विभाग
नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 011-23036094
ई-मेल:- <u>mk.singh52@nic.in</u>

<u>आवेदन ई-मेल के माध्यम से दिनांक 23.05.2022 को अपराह्न 5.30 बजे तक अथवा इससे पूर्व प्राप्त होना चाहिए</u>

चयन प्रक्रिया

1. विभाग जब कभी आवश्यक हो, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए एक साक्षात्कार का आयोजन करेगा। विभाग साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानकों को बढ़ाने का अधिकार रखता है। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। पात्रता मानदंड को पूरा करने मात्र से अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा।

2. साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी की परामर्शदाता के रूप विभाग में नियुक्ति चिकित्सा जांच और अन्य दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया के अध्ययधीन होगी। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति फिटनेस और प्रमाण-पत्रों के अभिप्रमाणन के अध्ययधीन होगी।

3. पद के लिए चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा के निबंधन एवं शर्तों की स्वीकृति के अध्ययधीन होगी।

अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता को सेवा पर रखने हेतु (संविदा के आधार पर) संविदा के निबंधन एवं शर्तें

कार्य की प्रकृति

1. सरकारी अवकाश को छोड़कर, संविदा के समय निर्धारित कार्य अवधि में सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार तक) को विभाग के चिकित्सा केंद्र (संचार भवन) में उपस्थित होना।

2. विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को नि:शुल्क आपातकालीन चिकित्सा उपचार, यदि आवश्यक हो तो प्रदान करने सहित चिकित्सा संबंधी परामर्श देना, नियमित चेक-अप, दवाएं प्रिस्क्राइब करना और इंजेक्शन लगाना तथा यथा संभव अन्य चिकित्सीय उपचार प्रदान करना।

3. संविदा की अवधि में संतोषप्रद सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मुश्त 60,000/-रू. प्रतिमाह का नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा। अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। मौजूदा दरों के अनुसार आय के स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी। चिकित्सा परामर्शदाता को निर्धारित संविदा अवधि के अतिरिक्त किसी कर्मचारी के चिकित्सा परामर्श/उपचार के लिए रोकने या बुलाए जाने की स्थिति में 1000/-रू. प्रति घंटे (अथवा अंश) का भुगतान किया जाएगा। नियुक्ति के समय इस प्रकार की मांग की संचालन प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

4. संविदा की अवधि के दौरान दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह के नोटिस पर संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

5. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अध्ययधीन होगा।

6. विभाग किसी भी चरण में नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का अधिकार रखता है।

(प्रोफार्मा)

दूरसंचार विभाग - नियत पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाएं

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)..श्री/कुमारी/श्रीमती..
2. पता (आवासीय)..
3. दूरभाष सं.......................................लैंडलाइन.............................मोबाइल.......................................
4. ई-मेल...
5. जन्मतिथि..
6. जन्म स्थान और अधिवास...
7. राष्ट्रीयता...
8. शैक्षिक अर्हता...

क्र.सं.	डिग्री/डिप्लोमा	विश्वविद्यालय/ बोर्ड	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रतिशत/श्रेणी/ रैंक

9. अभ्यर्थी द्वारा मेडिसन का कोई अन्य कोर्स पूरा करने से संबंधित ब्यौरा

क्र.सं.	अनुभव	से	तक	अवधि	वर्ष और माह

10. अन्य कोई कारक जिसे अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए ध्यान में लाना चाहता हो।

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस फॉर्म में मेरे द्वारा दी गई सूचना और विवरण सत्य और सही हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यदि उपर्युक्त में से कोई भी सूचना गलत अथवा झूठी हो या उसमें से कोई वास्तविक सूचना अथवा ब्यौरा छिपाई या हटाई गई हो तो मुझे बिना कोई सूचना दिए ही मेरी सेवाओं को बिना किसी मुआवजे के समाप्त किया जा सकता है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

निर्देश

1. इस फार्म में दिए गए सभी विवरणों को अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए।
2. ऐसे आवेदन जो पूर्णत: न भरे गए हों उन्हें रद्द किया जा सकता है।
3. आवेदन के साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।
4. यदि अभ्यर्थी किसी संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है तो उसका विवरण और कार्य की अवधि का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।
5. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियां उपलब्ध करानी होगी।

i) एमबीबीएस की डिग्री, और कोई अन्य उच्च चिकित्सीय डिग्री, यदि लागू हो

ii) चिकित्सा परिषद पंजीकरण प्रमाण-पत्र

iii) पैन कार्ड

iv) आधार कार्ड/कोई अन्य वैध पते का प्रमाण

v) पीपीओ (सेवानिवृत्त डॉक्टर के लिए)

vi) वर्तमान नियोक्ता से एनओसी (यदि लागू हो)